पत्र सं0– वि॰ प्रा॰ एवं त॰शि॰(x) प्रशिक्षण–03 / 2025–

**बिहार सरकार**

**विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

**सेवा में,**

**महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार**

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/ पटना, दिनांक–

**विषय :–** प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (Apprentice Act, 1961) (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के तहत 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 46 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2026–27 में अप्रैंटिस ट्रेनिंग के लिए इंगेज प्रशिक्षुओं को प्रथम चरण में छः माह के लिए 371 डिग्री एवं 255 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि के लिए भुगतानार्थ कुल रू० 3,25,53,000 (तीन करोड़ पच्चीस लाख तीरेपन हजार रूपये) मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में 14 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 15 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में एक वर्षीय अप्रैंटिस ट्रेनिंग के लिए इंगेज प्रशिक्षुओं को द्वितीय चरण में छः माह के लिए 88 डिग्री एवं 45 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित दर पर प्रतिमाह लंबित स्टाईपेन्ड के भुगतान हेतु कुल रू० 71,64,000.00 (इकहत्तर लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र अर्थात वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल राशि रू॰ 3,97,17,000.00 (तीन करोड़ सत्तानबे लाख सतरह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

**आदेश :– स्वीकृत।**

राज्य सरकार ने विभागीय संकल्प सं०–876 दिनांक–08.03.2019 के आलोक में दिनांक–11.05.2026 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक एवं दिनांक–27.05.2026 को आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर प्रशिक्षु अधिनियम, प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (Apprentice Act, 1961) (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के तहत 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 46 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2026–27 में अप्रैंटिस ट्रेनिंग के लिए इंगेज प्रशिक्षुओं को प्रथम चरण में छः माह के लिए 371 डिग्री एवं 255 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि के लिए भुगतानार्थ कुल रू० 3,25,53,000 (तीन करोड़ पच्चीस लाख तीरेपन हजार रूपये) मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में 14 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 15 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में एक वर्षीय अप्रैंटिस ट्रेनिंग के लिए इंगेज प्रशिक्षुओं को द्वितीय चरण में छः माह के लिए 88 डिग्री एवं 45 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित दर पर प्रतिमाह लंबित स्टाईपेन्ड के भुगतान हेतु कुल रू० 71,64,000.00 (इकहत्तर लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र अर्थात विवरणी–01,02,03 एवं 04 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल राशि रू॰ 3,97,17,000.00 (तीन करोड़ सत्तानबे लाख सतरह हजार रूपये) मात्र को विमुक्त करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के आलोक में अंतर्गत विभागान्तर्गत संस्थानों के द्वारा प्रशिक्षण अवधि में डिग्री प्रशिक्षुओं को रू० 10,500.00 (दस हजार पांच सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु तथा डिप्लोमा प्रशिक्षुओं को रू० 6,000 (छः हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु स्टाईपेंड राशि का भुगतान किये जाने के उपरांत व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) (BOPT (ER), कोलकाता द्वारा डिग्री प्रशिक्षुओं हेतु न्यूनतम निर्धारित स्टाईपेंड राशि (वर्तमान दर रू० 9,000.00 प्रतिमाह) का 50% अर्थात् रू० 4,500.00 (चार हजार पांच सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु एवं डिप्लोमा प्रशिक्षुओं हेतु न्यूनतम निर्धारित स्टाईपेंड राशि (वर्तमान दर रू० 8,000.00 प्रतिमाह) का 50% अर्थात् रू० 4,000.00 (चार हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु के दर से राशि का भुगतान प्रशिक्षुओं को DBT के माध्यम से सीधे भुगतान की जाएगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष –2203– तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष –00– लघुशीर्ष –003– प्रशिक्षण, माँग संख्या 43, उपशीर्ष –0101– प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम" के अधीन 34 01–छात्रवृति/वजीफा विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड–43–2203000030101 है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य होंगे।

5. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–वि० प्रा० एवं त०शि०(x) प्रशिक्षण–03/2025 के पृ०–71/टि० पर प्राप्त है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि०(2), दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

**(कुमार सिद्धार्थ)**

सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक– वि० प्रा० एवं त०शि०(x) प्रशिक्षण–03/2025** **/पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**ह०/–**

सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ एवं त॰शि॰(x) प्रशिक्षण–03/2025** **/पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ एवं त॰शि॰(x) प्रशिक्षण–03/2025** **/पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– निदेशक, व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), ब्लॉक–ई०ए०, सेक्टर–1, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700064 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ एवं त॰शि॰(x) प्रशिक्षण–03/2025** **/पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ एवं ॰शि॰(x)प्रशिक्षण–03/2025** - 3321 **/पटना, दिनांक–** 10.06.26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (एम०)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) /आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव